न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 3 / 8 / 2025 दायर दिनांक:–06 / 05 / 2025

जीसीएमएस नं0:–2025 / 220 निर्णय दिनांक:– 10 / 11 / 2025

बउनवान

1. राजेश पुत्र घीस्या जाती ब्राहम्ण निवासी नंगला केशरिया तहसील कठूमर जिला अलवर।

— प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

––अप्रार्थी

2. दीना पुत्र घीस्या जाति ब्राहम्ण निवासी नंगला केशरिया तहसील कठूमर।
3. बिरमा पुत्र घीस्या जाति ब्राहम्ण निवासी नंगला केशरिया तहसील कठूमर।
4. मन्दो पत्नि घीस्या जाति ब्राहम्ण निवासी नंगला केशरिया तहसील कठूमर

–– तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थिति:–1.श्री रामजीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी 1

–:आदेश:–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 122, 221 223, 285, 40, 59, वाके ग्राम नंगला केशरिया तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश जाति ब्राहम्ण निवासी नंगला केशरिया है प्रार्थीया के पिता घीस्या के स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 311, वाके ग्राम नंगला केशरिया दर्ज करते समय

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी किये बिना ही बिना सुने बिना बुलाये बिना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से राजेश के स्थान पर बल्ली दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का सही नाम राजेश ही दर्ज होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी पर प्रार्थीया का नाम राजेश के स्थान पर बल्ली गलत दर्ज कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर तहसील कठूमर पर प्रार्थीया बल्ली के स्थान पर राजेश पुत्र घीरया दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीया 2 से 4 को प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल, नकल इन्तकाल संख्या 311,नकल फॉटो प्रति जनअधार, नकल फोटो प्रति राशनकार्ड, नकल फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स, नकल फोटो प्रति पैनकार्ड, नकल फोटो प्रति आधार कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये जो जो शामिल मिसल किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का नाम बल्ली के स्थान पर राजेश पुत्र घीस्या है। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीया का नाम बल्ली के स्थान पर राजेश पुत्र घीस्या है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित

उपखण्ड अधिकारी

नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 122, 221 223, 285, 40, 59, वाके ग्राम नंगला केशरिया तहसील कठूमर में प्रार्थी का नाम बल्ली के स्थान पर राजेश पुत्र घीस्या दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाले (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०